संख्या-2/104/तीस-1-2014-5(27)/2013

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 19 मार्च, 2014

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम के जनपद मथुरा में बस स्टेशन वृन्दावन के भवन निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-598/तीस-1-2013-5(27)/2013, दिनांक 15-07-2013 तथा अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम के पत्र संख्या-70बी/डी0ए0/प0/14, दिनांक 05-02-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मथुरा में वृन्दावन बस स्टेशन के भवन निर्माण हेतु संदर्भित शासनादेश दिनांक 15-07-2013 द्वारा आंकलित धनराशि रू0 342.71 लाख (रूपये तीन करोड़ बयालिस लाख इक्हत्तर हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 171.36 लाख (रूपये एक करोड़ इक्हत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है।

2- अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के संदर्भित पत्र दिनांक 05-02-2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त जनपद-मथुरा में वृन्दावन बस स्टेशन के निर्माण हेतु आंकलित धनराशि रू0 342.71 के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त रू0 171.35 लाख (रूपये एक करोड़ इक्हत्तर लाख पैंतिस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते है कि योजना को अनुमोदित लागत में ही निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाय। उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तगत कराने के पश्चात यदि लागत में वृद्धि होती है तो उसे कार्यदायी संस्था अपने स्रोतों से वहन करेगी। शासन द्वारा उक्त बढ़ी हुई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

3- उक्त आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 डिपोजिट आदि खाते में जमा नहीं की जाएगी।

4- भवन का निर्माण समयबद्धता से पूर्ण कराया जाए साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रभाग द्वारा लागत का आंकलन प्रस्तावित कार्यो एवं मात्राओं के अनुसार किया गया है। मात्राओं को निर्माण का समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासनिक विभाग का होगा। कराये जा रहे कार्यो की वर्तमान में तथा भविष्य में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो यह भी आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

5- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी0-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28-03-2013 में दिए गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- भवन में विकलांगजन की सुविधा हेतु बैरियर फ्री आवागमन की व्यवस्था की जाएगी। विशेष रूप में भवन में प्रवेश आदि हेतु रेलिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।

7- उक्त व्यय के सम्बन्ध में शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाएगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में निहित निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या-2/104(1)/तीस-1-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4/परिवहन अनुभाग-3.
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9.
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था भवन प्रभाग(पश्चिम), उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम, (मुख्यालय) लखनऊ।
11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in